



2026:AHC:6630

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43240 / 2025

अभिषेक शुक्ला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: आलोक शुक्ला, मनीष तिवारी, सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 203 वर्ष 2024, धारा 8, 20, 29 एवं 60 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना जमुनापुर, जनपद मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 11.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त सागर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 19.12.2024 के आदेश से (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 38136 वर्ष 2025) पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में दिया गया है। आगे यह भी कहा गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदक के न्याय से भागने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

अतएव, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक **अभिषेक शुक्ला**, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित/डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 12 जनवरी, 2026

पीकेएस